फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – जहाजपुर(भीलवाडा)

बीरबल पिता निहालचंद कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द

बनाम

रामेश्वर पिता आनीया कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 452/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
31 .05.23	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम सुभाषनगर प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2918/2789 रकबा 0.8094 हैक्टेयर आ.न. 2973/2789 रकबा 0.6475 हैक्टेयर आ.न. 1658 रबा 1.0198 हैक्टेयर** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम सुभाषनगर प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2918/2789 रकबा 0.8094 हैक्टेयर आ.न. 2973/2789 रकबा 0.6475 हैक्टेयर आ.न. 1658 रबा 1.0198 हैक्टेयर** की उभय पक्षों की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 31 .05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी,** **जहाजपुर (भीलवाडा)**	

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 512 / 2023 दिनांक :– 31 .05.2023

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. सं 115/23 अनवान बीरबल पिता निहालचंद कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द बनाम रामेश्वर पिता आनीया कंजर, हरी पिता बन्ना खाती, रामा पिता मांगीलाल कंजर, राधा पत्नि सुवालाल कंजर, सीता पत्नि राधेश्याम कंजर, राधा पत्नि रतन कंजर, रूपा पिता हवालीया कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में **ग्राम सुभाषनगर प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2918 / 2789 रकबा 0.8094 हैक्टेयर आ.न. 2973 / 2789 रकबा 0.6475 हैक्टेयर आ.न. 1658 रबा 1.0198 हैक्टेयर** भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)